3/2015-

संख्या-888/नौ-5-2015-108बजट/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, कीरतपुर/धामपुर(बिजनौर), आजमगढ़(आजमगढ़), सीतापुर(सीतापुर), लखीमपुर (लखीमपुर खीरी) एवं नानपारा(बहराईच)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 04 फरवरी, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में **'नगरीय सड़क सुधार योजना'** के अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न निकायों को विभिन्न शासनादेशों द्वारा सडक सुधार हेतु सडकों के निर्माण के लिए उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है। संदर्भित निकायों द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। अतः प्रश्नगत निकायों को उनके अनुरोध के क्रम में वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में चालू कार्यो हेतु द्वितीय किश्त के रूप में कुल **₹ 170.43 लाख (₹ एक करोड़ सत्तर लाख तेंतालिस हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख् ₹ में)

क्र.सं.	जिले का नाम	नागर निकाय का नाम	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश एवं दिनांक	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बिजनौर	नगर पालिका परिषद, कीरतपुर	4425/नौ-5-2013-161बजट/2013टीसी-1 दिनांक 25.09.2013	116.03	58.00	58.03
2	बिजनौर	नगर पालिका परिषद, धामपुर	6056/नौ-5-2014-150बजट/2014 दिनांक 17.11.2014	40.82	20.41	20.41
3	आजमगढ़	नगर पालिका परिषद, आजमगढ़	62/नौ-5-2014-276बजट/2013 दिनांक 25.02.2014	30.30	15.15	15.15
4	सीतापुर	नगर पालिका परिषद, सीतापुर	7306/नौ-5-2013-197बजट/2013 दिनांक 09.01.2014	100.81	50.00	50.81
5	लखीमपुर खीरी	नगर पालिका परिषद, लखीमंपुर	490/नौ-5-2013-41बजट/2014 दिनांक 28.02.2014	25.93	12.96	12.97
6	बहराईच	नगर पालिका परिषद, नानपारा	490/नौ-5-2013-41बजट/2014 दिनांक 28.02.2014	26.11	13.05	13.06
योग						170.43

(₹ एक करोड़ सत्तर लाख तेंतालिस हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2)उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31-03-2015 तक संबंधित निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

(5) प्रश्नगत निकायों को जिन शासनादेशों के माध्यम से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है, उन शासनादेशों में उल्लिखित शर्ते भी यथावत रहेगीं।

2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-888(1)/नौ-5-2015-108बजट/2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार,'उ.प्र. इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित कोषधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. इलाहाबाद।
7. सम्बन्धित अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।